

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 657 /2021

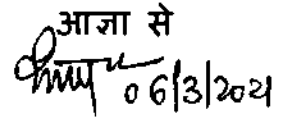
दिनांक : 06.03.2021

श्री आयुष गुप्ता (RJ1153), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 18.07.2020 से 20.07.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 21.07.2020 से 27.07.2020 तक 07 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) / सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
 06/3/2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.सी.4) 18/2017/ 1635

दिनांक : 06.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 1073 दिनांक 12.02.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री आयुष गुप्ता (RJ1153), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) ।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) ।


सहायक रजिस्ट्रार